

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1425 दिनांक:- 15-7-2025

कार्यालय आदेश

सुश्री मुंगी बाई मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक 646 दिनांक 30.06.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.04.2025 से 14.04.2025 तक (कुल 07 दिवस) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री मुंगी बाई मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1425 दिनांक:- 15-07-2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, टोंक।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. सुश्री मुंगी बाई मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, रोल नं.-752881 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, टोंक।
4. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)